

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 118/2021

(Bank Case)

GCMS No. - 2021/241

केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय- 502, टॉवर-ए, पिनीनसुला विजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर पारेल, मुम्बई-400013 तथा क्षेत्रिय कार्यालय-प्लॉट नं. 13, 2nd & 3rd फ्लोर, प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता किशनपाल सिंह राठौड़।
- प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. शैलेन्द्र सिनोट पुत्र श्री चरण लाल (ऋणी)
पता- प्लाट नं. 5 एवं 6, वैष्णव विहार स्पेशल, ग्राम भदाना, तह. लाडपुरा, जिला-कोटा (राज.)-324002
अन्य पता- शैलेन्द्र सिनोट, मैसर्स न्यू वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन, कृष्णा विहार, भदाना, कोटा
2. श्रीमती आशा सिनोट पत्नि श्री शैलेन्द्र सिनोट (सहऋणी)
पता- प्लाट नं. 5 एवं 6, वैष्णव विहार स्पेशल, ग्राम भदाना, तह. लाडपुरा, जिला-कोटा (राज.)-324002
अन्य पता- शैलेन्द्र सिनोट, मैसर्स न्यू वैष्णवी कन्स्ट्रक्शन, कृष्णा विहार, भदाना, कोटा

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 27/10-2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय- 502, टॉवर-ए, पिनीनसुला विजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर पारेल, मुम्बई-400013 तथा क्षेत्रिय कार्यालय-प्लॉट नं. 13, 2nd & 3rd फ्लोर, प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर, राजस्थान से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से लोन खाता संख्या LNMEKOT000018571 में दिनांक 31.07.2018 को 15,52,820/- रूपये (अक्षरे पन्द्रह .लाख बावन हजार आठ सौ बीस रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 5 एवं 6 जो वैष्णवी विहार स्पेशल, ग्राम भदाना, तह. लाडपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2645 वर्ग फीट हैं, चतुःसीमा पूर्व में- सडक 30 फीट, पश्चिम में- अन्य का मकान, उत्तर में-प्लॉट नं. 04, दक्षिण में- सडक 25 फीट है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 10.10.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 21,92,369/- (अक्षरे रूपये इक्कीस लाख बानवें हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र) बकाया रकम दिनांक 13.02.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत

2
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

अप्रार्थीगण को दिनांक 18.02.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में प्रातःकाल व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 16.07.2018 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में कंचन केसरी व अंग्रेजी में "बिजनेस स्टेडर्ड" में दिनांक 07.06.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 18.02.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में कंचन केसरी व अंग्रेजी में "बिजनेस स्टेडर्ड" में दिनांक 07.06.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 5 एवं 6 जो वेष्णवी विहार स्पेशल, ग्राम भदाना, तह. लाडपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2645 वर्ग फीट हैं, चतुःसीमा पूर्व में- सडक 30 फीट, पश्चिम में- अन्य का मकान, उत्तर में-प्लॉट नं. 04, दक्षिण में- सडक 25 फीट है का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27-10-2021 को सुनाया गया।

32
(उज्ज्वल राठौड़) 11/10/21
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा